

प्रारूप  
आ.क.वि-  
2

**भारतीय आयकर विवरणी**  
[व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाष से आय नहीं है]  
[ कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए ]  
(कृपया अनुदेश देखे)

निर्धारण वर्ष

2	0	2	2	-	2	3
---	---	---	---	---	---	---

**भाग क- साधारण** साधारण

व्यक्तिगत सूचना	(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी लेखा सं. (पैन) 	
	(क6) फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं0		(क7) परिसर / भवन / गांव का नाम	(क5) प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब	
	(क8) मार्ग / गली / डाकघर		(क14) जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / /		
	(क9) क्षेत्र / अवस्थान		(क15) आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
	(क10) नगर / शहर / जिला		(क11) राज्य	(क13) पिन कोड / ज़िप कोड 	
			(क12) देश		
	(क16) निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं0/ मोबाइल नं. 1			(क17) मोबाइल नं0 2 	
(क18) ई मेल पता -1 (स्वयं का)			(क19) ई मेल पता -2 		

प्रस्तुत पडल करन	(क20क1)	धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए] या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92 गघ-उपांतरित विवरणा <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात् <input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148
	(क2)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <b>वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहें हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर</b>	
	(ख)	क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]	
	(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)
	(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)

(खीव)	क्या आप धारा 139(1) के सांतवें परंतुक के तहत निर्धारित शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं किंतु आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं है? (हां/ नहीं) (यदि हां, तो दी गई तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)		(चिह्न) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(ग)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)		/									
(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148 के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिफ नंबर)	/									
(ङ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यक्ति के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [ धारा 6(1)(क) ] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग) ] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है ] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जो रोजगार के प्रयोजनार्थ, भारतीय जहाज कर्मिंदल के सदस्य के रूप में भारत के बाहर गए तथा पूर्ववर्ती वर्ष में भारत में 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे [ धारा (6)(1)(क) के स्पष्टीकरण 1(क) ] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिन या इससे ज्यादा और गत 4 वर्षों में 365 दिन या इससे ज्यादा के लिए भारत में थे या उससे अधिक; या ख) 120 दिन या इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों में 365 दिनों या इससे अधिक के लिए, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक हो [धारा (6)(1)(ग) के स्पष्टीकरण 1(ख)]									
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क) ] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [ धारा 6(6)(क) ] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो भारत में आया है जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख रू. से अधिक है तथा भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है[धारा 6(6)(ग)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख र. के अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण[धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित									
		इ. अनिवासी	<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (ii) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.स.</th> <th>निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)</th> <th>करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)	1			2		
क्र.स.	निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं)	करदाता पहचान संख्या (संख्याएं)										
1												
2												
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - <table border="1"> <thead> <tr> <th>पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> <th>पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)							
पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)											
	भारत में निवासीय प्रास्थिति(हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	ई. <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी										
(च)	क्या आप धारा 115 ज के अधीन फायदे का दावा करना चाहते हैं (निवासी की दशा में लागू)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं									
(छ)	क्या धारा 5क के अनुसार आप पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किए जाते हैं ? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया अनुसूची 5क भरें)											
(ज)	क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा दायर की जा रही है? (✓) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें -											
	(1)	प्रतिनिधि का नाम										
	(2)	प्रतिनिधि की क्षमता (ड्राफ्ट डाऊन उपबंधित किया जाए)										
	(3)	प्रतिनिधि का पता										
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार										

(झ)	क्या आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय आप किसी कंपनी के निदेशक थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो निम्नलिखित सूचना दे -													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	क्या उसक शेयर सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध					निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)					
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)												
(ञ)	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी समय आपके पास असूचीबद्ध साधारण शेयर थे ? (सही का निशान लगाये) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित सूचना दे													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पेन	आरंभिक अधिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंतिम अधिशेष	
		(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)		शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गम मूल्य (नये निर्गम की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

#### अनुसूची वेतन वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (टिक) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)					नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)							
नियोजक का पता		नगर / शहर			राज्य		पिन कोड / जिप कोड							
1 सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)										1				
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1क							
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1ख							
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					1ग							
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय					1घ							
	ङ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय					1ङ							
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)														
2 कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)										2				
2क धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा										2क				
3 धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)										3				

4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)	4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग	
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)	6	

**अनुसूची गृह संपत्ति**

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)					
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं I (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टेन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)	
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
	क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य				1क	
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख	
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग	
	घ योग (1ख + 1ग)				1घ	
	ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है				1ङ	
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)				1च		
छ 1च का 30%				1छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1ज		
झ योग (1छ + 2ज)				1झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया				1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)				1ट		
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)						

सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
I					
II					
<input checked="" type="checkbox"/> लागू विकल्प पर का निशान लगाएं ] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम )यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
I					
II					
क		प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क	
ख		किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग		स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ		योग (2ख + 2ग)	2घ		
ङ		वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
च		स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च		
छ		1च का 30%	2छ		
ज		उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ		योग (2छ + 2ज)	2झ		
ञ		वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ		
ट		गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट		
3		आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *	3		
4		“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4		
टिप्पण		इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण		किराएदार का पैन/ आधार संख्या. दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची -गछ		पूंजी अभिलाभ			
अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)			
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का	
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii	

				iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [ यदि (कii), (कi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (कi) लेंगे अन्यथा (कii) लेंगे।	कiii			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
				iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv			
			ग	अतिशेष (कiii - खiv)		1ग			
			घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		1घ			
			ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1ग - 1घ)			अ1ङ		
			च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
				क्रं सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन्/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड
									पिन कोड
				<b>टिप्पण ▶</b>		पैन्/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।			
		2		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है					
			क	प्रतिफल का कुल मूल्य		2क			
			ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
				i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi			
				ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
				iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
				iv	कुल (i + ii + iii)	खiv			
			ग	अतिशेष (2क - खiv)		2ग			

			घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	
			ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)		अ2ङ
		3		अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)		
			क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है		अ3क
			ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है		अ3ख
		4		अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से		
			क	i विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		

		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
		iii	कुल (ग + ii)	क iii	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv	कुल (i + ii + iii)	खiv	
		ग	अतिशेष (4कiii - खiv)	2ग	
		घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	
		ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		अ4ङ
5			उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		

क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iग		
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का			
	iii	कुल (iग + ii)		क iii	
ख धारा 48 के अधीन कटौती					
क	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत		खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत		खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय		खiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)		खiv	
ग अतिशेष (5क iii - खiv)			5ग		
घ धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनि ट ) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनि ट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है			5घ		

ड	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूज (5ग + 5घ)	अ5ड
---	--	-----

6	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं					
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हां/नहीं)	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
ii	2019-20	54ख			
खक से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि					
लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + ख)			क6		
7	अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)	अ 7			

क	15 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7क						
ख	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ख						
ग	लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूँजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	क7ग						
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है							
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I								
II								



क	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि जो कर प्रभार्य नहीं है	क8क
ख	डीटीएए के अनुसार भारत में एसटीसीजी की कुल राशि विशेष दरों पर कर प्रभार्य है	क8ख

9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7 - क8क)	क 9
---	---	-----

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)						
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		संनिर्माण की तारीख दिन/मास/वर्ष			विक्री/हस्तांतरण की तारीख दिन/मास/वर्ष			
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य	का				
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii				
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.10 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।	काiii				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती						
		i	अधिग्रहण की लागत	खi				
		iiक	सूचीकरण के साथ अधिग्रहण की लागत	खiiक				
		iiख	सूचीकरण के साथ संशोधन की लागत	खiiख				
		(क)	संशोधन की लागत					
		(ख)	संशोधन वर्ष					
		(ग)	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत					
			पंक्ति जोड़े					
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii				
		iv	कुल (खiiक + खiiख + खiii)	खiv				
	ग	अतिशेष (काiii - खiv)			1ग			
	घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)			1घ			
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)						
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
	क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता देश कोड, जिप कोड	पिन कोड	राज्य
	टिप्पण	पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।						
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से							
क	प्रतिफल का कुल मूल्य			2क				
ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत			खi			
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत			खii			
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय			खiii			
	iv	कुल (खi + खii + खiii)			खiv			
ग	अतिशेष (2क - खiv)			2ग				
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)			2घ				

ड		बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)		आ2ङ	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहाँ धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से				
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		
		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
		कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3घ		
	ङ	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		आ3ङ	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	4ख		
ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ ( 4क - 4ख)		ख4चघ		
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)				
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूअ	5क 4		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	5ख		
ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)		आ5ग		
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)				
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii
	ग		पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii	कुल (iग + ii)	क iii	
		ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi		

	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv		
ग		अतिशेष (6कiii - खiv)	6ग		
घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	6घ		
ङ		अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)		आ 6ङ	
7		अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदलत किया जाता है की इकाई के विक्रय से			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115कघ(1)(iii)]	7क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	7ख		
	ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख7ग	
8		अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन			
	क	विनिदिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क		
	ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ख		
	ग	विनिदिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ङ	
	घ	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना	8घ		
	ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	8ङ		
	च	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च	
9		जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से			
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii	
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii	
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	कii	
		iii	कुल (iग + ii)	कiii	
	ख		धारा 48 के अधीन कटौती		
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
	ग		अतिशेष (9कiii - खiv)	9ग	
	घ		धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	9घ	
	ङ		उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)		आ 9ङ
10			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		

क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?								
	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं								
हाँ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)									
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
i	2018-19	54/54च/54ख							
ii	2019-20	54ख							
ख 'क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+काii+ख)									
11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)								
क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		ख11क1						
क2	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		ख11क2						
ख	20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास		ख11ख						
12	एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं								
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I									
II									
13	आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ड+ख2ड+ख3ड+ख4ड+ख5ग+ख6ड+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)							ख13	
ड	'पूंजीगत अभिलाभ' शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)							ड	
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना								
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54खख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए								
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती								
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				क i	दिन / मास / वर्ष			
ii	नए आवासीय घर की लागत				क ii				
iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख				क iii	दिन / मास / वर्ष			
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				क iv				
v	दावा की गई कटौती की रकम				क v				
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती								
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				ख i	दिन / मास / वर्ष			

	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v	
	<b>ग</b> धारा 54इग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास	ग ii	
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	
	<b>घ</b> धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घiii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा	घiv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घv	
	<b>ङ</b> धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन / मास / वर्ष
	ii	पात्र कंपनी का पैना	ङii	
	iii	पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग	ङiii	
	iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ङiv	दिन / मास / वर्ष
	v	पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की	ङv	
	vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	ङvi	दिन / मास / वर्ष
	vii	पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से	ङvii	
	viii	दावा की गई कटौती की रकम	ङviii	
<b>च</b> धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)				
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन / मास / वर्ष	
ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई	चii		
iii	विनिधान की तारीख	चiii	दिन / मास / वर्ष	
iv	दावा की गई कटौती की रकम	चiv		
<b>छ</b> कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ +1ङ +1च)				
<b>1छ</b>				

**उ** चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा

क्रम	पूंजी अभिलाभ सं. का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि	मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
------	----------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--

			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	9
			1	2	3	4	5	6	7	
i	पूंजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है  (केवल यह पंक्ति भरे यदि प्रणित अंक नकारात्मक है →)		(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)	अ4ङ + अ7ख	(अ1ङ+ अ3ख+ अ5ङ+ अ6ग+ अ7ग)	अ8(2)	(आ3ङ+ आ4ग+ आ6ङ+ आ7ग+ आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ङ+ आ2ङ+ आ5ग+ आ8च+ आ9ङ+ आ10 + आ11ब)	आ12ब	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ2ङ+ अ3क+ अ7क)							
iii	अभिलाभ	30%	अ4ङ + अ7ख							

iv	लागू दर	(अ1ड+ अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)							
v	डीटीएणू दरें	अ8(2)							
vi	10%	(आ3ड + आ4ग + आ6ड + आ7ग+ आ8ग + आ11क1 + आ11क2)							
vii	20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ब)							
viii	डीटीएणू दरें	आ12ब							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)								

ऊ प्रोड्युक्शन की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद

पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1 15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2 30%की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3 लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4 10%की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
5 20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					

**टिप्पण** कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूचीमें निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 112क एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निधी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।														
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य , - यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य -(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1														
2														
3														
4														
पंक्ति जोड़े														
योग														

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।													
क्रम सं.	अर्जित शेयर/ इकाई	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/ यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य,- यदि शेयर्स 31.01.2018 या उससे पहले अर्जित किए गए हैं। (कुल बिक्री मूल्य) (4*5) यदि शेयर्स 31 जनवरी 2018 के बाद अर्जित किए गए हैं, कृपया प्रतिफल का पूरा मूल्य प्रविष्ट करें।	8 एवं 9 के उच्चतर इंडेकसेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य - (4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णतः विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 1क)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1															
2															
3															
4															
पंक्ति जोड़े															
योग															



**अनुसूची-अन्य  
स्रोत**

**अन्य स्रोतों से आय**

<b>1</b>	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	<b>1</b>	
<b>क</b>	लाभांश, सकल (क i + क ii)	<b>1क</b>	
<b>i</b>	लाभांश आय धारा 2(22)(ड) के तहत	<b>क i</b>	
<b>ii</b>	(i) के अतिरिक्त लाभांश आय	<b>क ii</b>	
<b>ख</b>	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)	<b>1ख</b>	
<b>i</b>	बचत बैंक से नीचे	<b>खा</b>	
<b>ii</b>	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	<b>खii</b>	
<b>iii</b>	आयकर प्रतिदाय से	<b>खiii</b>	
<b>iv</b>	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	<b>खiv</b>	
<b>v</b>	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	<b>खv</b>	
<b>vi</b>	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	<b>खvi</b>	
<b>vii</b>	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	<b>खvii</b>	
<b>viii</b>	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार भविष्य निधि में कर योग्य सीमा तक योगदान पर अर्जित ब्याज	<b>खviii</b>	
<b>ix</b>	अन्य	<b>खix</b>	
<b>ग</b>	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	<b>1ग</b>	
<b>घ</b>	अन्य, सकल (घi के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)	<b>1घ</b>	
<b>i</b>	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	<b>घa</b>	
<b>ii</b>	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	<b>घii</b>	
<b>iii</b>	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	<b>घiii</b>	
<b>iv</b>	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घiv</b>	
<b>v</b>	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घv</b>	
<b>ङ</b>	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	<b>1ङ</b>	
<b>क्रं. सं.</b>	<b>प्रकृति</b>	<b>राशि</b>	
<b>1</b>	पारिवारिक पेंशन		
<b>2</b>	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
<b>3</b>	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश के अतिरिक्त देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय		
यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं			
<b>2</b>	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)	<b>2</b>	
<b>क</b>	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य	<b>2क</b>	

<b>ख</b>	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खि + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
<b>i</b>	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खि				
<b>ii</b>	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
<b>iii</b>	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
<b>iv</b>	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
<b>v</b>	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
<b>vi</b>	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
<b>ग</b>	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष				2ग	
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
<b>घ</b>	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (घ i से घxix का योग)				2घ	
<b>i</b>	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i				
<b>ii</b>	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii				
<b>iii</b>	अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य	घ iii				
<b>Iv</b>	धारा 194 ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1)(क)(iiकक) @ 5% के अधीन प्रभार्य	घ iv				
<b>v</b>	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घ v				
<b>vi</b>	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घ vi				
<b>vii</b>	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii				
<b>viii</b>	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii				
<b>ix</b>	धारा 115कग के तहत प्रभार्य- अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बांड पर ब्याज से आय	घ ix				
<b>X</b>	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जी.डी.आर पर लाभांश के रूप में आय	घ x				
<b>xi</b>	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जी.डी.आर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घ xi				
<b>xii</b>	प्रतिभृतियों (लाभांश के अतिरिक्त) (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय - धारा 115कख(1)(i)	घ xii				
<b>xiii</b>	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभृतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115कघ(1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xiii				
<b>xiv</b>	धारा 115खखक के तहत प्रभार्य- अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघ द्वारा प्राप्त आय	घ xiv				
<b>Xv</b>	कृतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xv				
<b>xvi</b>	धारा 115क(1)(अ)(liiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घ xvi				
<b>xvii</b>	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvii				
<b>xviii</b>	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घ xviii				

	xix	अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य	घxix								
	ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्रापडाउन उपबंधित करें)							2ड		
	च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीएए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)							2च		
		क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 का, 1ख से 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
3		धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
		का	व्यय/कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का			
		काii	धारा 57(i) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (यदि आय 1(क) में प्रस्तुत केवल तभी उपलब्ध)					3काii			
		काiik	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय-कलित राशि					3काiik			
		काiii	धारा 57(ii) के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काiii			
		ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख			
		ग	योग					3ग			
4		धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4
5		धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5
5क		धारा 89 क के तहत कराधान से राहत हेतु आय का दावा									5क
6		[1 (डीटीएए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3i का अंक लें)									6

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6 ) ( यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें )										7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय										
	क	प्राप्तियां					8क				
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन					8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ					8घ				
	ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करे)					8ड				
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)										9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रो.डूवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना										
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक				
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
1		धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टबाजी से जीत पर आय									
2		क्रम सं. 1क(i) में संदर्भित लाभांश पर आय									

3	धारा 115क(1)(क)(i)के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)					
4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय					
5	धारा 115कगक (1)(क) के तहत 10% की दर से लाभांश आय (पी टी आई आय शामिल)					
6	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)					
7	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
8	धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवा निवृत्ति लाभ खाते से आय (धारा 89 क के तहत राहत घटाने के पश्चात् कर योग्य भाग)					

**टिप्पण** कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि को छोड़ना	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रस के घोड़ो से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि छोड़ना → (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)			

Ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)			
X	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9viii)			
Xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
Xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ः)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि छोड़ना (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)				

**अनुसूची - अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन**

पूर्व वर्षों की अग्रणीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रणीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अनुसूची- अग्रणीत हानि

आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
i	2014-15					
ii	2015-16					
iii	2016-17					
iv	2017-18					
v	2018-19					
vi	2019-20					
vii	2020-21					
viii	2021-22					
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग					
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xi)
xi	2022-23 (चालू वर्ष की हानियां)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2भii)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2भ+3भ+4भ+5भ)	अनुसूची सीजी की मद ड का (6भ+7भ+8भ)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि					

**अनुसूची- VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां**

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80ग		ख	80गगग	
	ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)	
	ङ	80 गगघ(2)		च	80घ	
	छ	80घघ		ज	80घघख	
	झ	80ङ		ञ	80ङङ	
	ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
	ड	80छ		ढ	80छछ	
	ण	80छछक		त	80छछग	
	2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती				
थ	80थथख		द	80ददख		
ध	80ननक		न	80ननख		
प	80प					
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)				3	

**अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे**

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम		
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
iii	कुल						

ख		बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
ग		अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
घ		अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान		
i							
ii							
iii	कुल						
ङ कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)							

## अनुसूची 80 छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
कुल संदान							

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

## धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन  ड  80 झकख				
		क	शीर्ष "ग -कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क		
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)			3	
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)			4	

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

## धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1	
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें				3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	(ख3)=(ख1)-(ख2)	
	I	2014-15				
	ii	2015-16				
	iii	2016-17				
	iv	2017-18				
	v	2018-19				
	Vi	2019-20				
	Vii	2020-21				
	Viii	2021-22				
	ix	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)				
	x	योग				
5	वर्ष के दौरान धारा 115जघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट				5	
6	पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट				6	



### अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय

विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारित की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रू.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

### अनुसूची-विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2giii)	(अनुसूची ओ.एस का 2giv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एस.टी.सी.जी जिन पर एस.टी.टी भुगतान किया गया)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3iv)	
4	112परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
9	115ङ (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी )	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vi का भाग)	
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओ.एस का 2क का भाग)	
15	115खखङ (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओ.एस का 2ख)	
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
17	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें )	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2घ का भाग)	

19	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	□		(अनुसूची ओ.एस का 2च का भाग)
20	15% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3iv का भाग)
21	30% की दर पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3v का भाग)
22	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3vii का भाग)
23	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	□	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 3vii का भाग)
24	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	□	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 3viii का भाग)
25	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	□		(अनुसूची ओ.एस का 2उ)
			<b>कुल</b>	

### अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

1	ब्याज से आय						1		
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i			
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii			
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेहित कृषि हानि				iii			
	iv	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (					2		
	v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)							
	क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है							
	ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप							
	ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)							
	घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)							
3	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)						3		
4	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय								
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)		
	I								
	II								
	III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय						4	
5	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)						5		
6	<b>योग (1+2+3+4+5)</b>						6		

### अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवाल आय/क्षति (7-8)	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
				क।	धारा 111क					
				क।	अन्य					

						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अलावा				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				
2.						i	गृह संपत्ति				
						ii	पूंजी अभिलाभ				
						क	अल्पकालिक अवधि				
						का	धारा 111क				
						कii	अन्य				
						ख	दीर्घकालिक अवधि				
						खा	धारा 112क				
						खii	धारा 112क के अलावा				
						iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश				
						ख	अन्य				
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन				
						ख	धारा .....के अधीन				
						ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

**अनुसूची एफएसआई**

भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)

क्रम सं.	देश का सं. कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ाळआई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ाळएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				कुल					
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					

		iv अन्य स्रोत				
		कुल				
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

### अनुसूची टि.आर. भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
			कुल		
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/ प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

### अनुसूची वि.आ. भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

अ1	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण ( अन्य लाभकारी व्याज शामिल)										
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
अ2	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लाभांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
अ3	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
अ4	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आसृति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आसृति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	31 दिसंबर को समाप्त कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											

क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम तथा कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (र. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
<b>च</b> भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।												
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
<b>छ</b> भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है												
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												

**टिप्पण**

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यप्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

**अनुसूची-5अ**

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति/पत्नी की नाम						
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या						
आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्ति	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस		
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)		
1	गृह संपत्ति					

2	पूँजी लाभ			
3	अन्य स्रोत			
4	कुल			

**अनुसूची कठ** वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के व्यौर	क	स्थावर आस्ति के व्यौर				
	क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(i)					
	(ii)					
	ख	जंगम आस्ति के व्यौर				
	क्र. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए	
	(1)	(2)			(3)	
	(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि				
	(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य				
	(iii)	यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान				
	(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) में रुपए	
		(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
		(ख)	शेयर और प्रतिभूति			
		(ग)	बीमा पालिसी			
	(घ)	दिए गए ऋण और अग्रिम				
	(ङ)	हाथ में नकदी				
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)					
<b>टिप्पण</b> ▶ कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।						

**अनुसूची:**  
**ई.एस.ओ.पी पर कर**  
**स्थगन**

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं:			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि स्तंभ (3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए स्तंभ 3 के ऐसे बिक्री का कर गुण का तिथि व राशि का वर्णन करें (उपयोगिता के अनुसार प्रदत्त विवरण)	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ? o हां o नहीं यदि हां, तिथि बताएं	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8

1	2021-22	नि.व. 2021- 22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख	(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)
---	---------	---	---

## भाग - ख

## भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2
3	पूँजी अभिलाभ	
	क लघु अवधि	
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9i)	कi
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	कii
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	कiii
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	कiv
	v कुल लघु अवधि (कi + कii + कiii + कiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv
	ख दीर्घ अवधि	
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खi
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खii
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खiii
	iv कुल दीर्घ अवधि (खi + खii + खiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग
4	अन्य स्रोतों से आय	
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियाँ (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11
12	कुल आय (9-11)	12
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13



14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छ ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [ लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो ]	15	
16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

## भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

## कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 ज ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित मंतर कर का 4)	1क			
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख			
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग			
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर ( 1क + 1ख + 1 ग )			1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii)का कुल)	2ख			
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)				
			11 Total income				
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose (4 of Schedule B				
		13 'Aggregate income' (8+ 9)					
		14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and 3viii of Schedu					
	ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग				
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)			2घ		
3	धारा 87क के अधीन रिबेट					3	
4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)					4	
5	अधिभार			उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार		
	i	अनुसूची ध.ज के 15(ii) के 25%	5i		iक		
	ii	10% या 15% या 20%, की दर से जैसा 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) , पर लागू, अनुसूची एस आई धारा 115कघ(1)(क) के तहत लाभांश आय तथा भाग-ख- टी आई में शामिल लाभांश आय	5ii		iiक		
	iii	[(4) अनुसूची एसआई का - ( 16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii))पर	5iii				
	i v	कुल (i + ii + iii)				5iv	
6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)					6	
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)					7	
8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम) (8क + 8ख)					8	
8क	धारा 17(2)(vi)में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर (8 - 8ख)					8क	
8ख	धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर					8ख	

8ग	गत वर्षों से कर स्थगन किंतु चालू नि.व. के दौरान देय ( ई.एस.ओ.पी. पर अनुसूची कर स्थगन का स्तंभ 7 का कुल योग)				8ग	
9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)					
10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8क - 9)					
11	कर राहत					
	क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11क			
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)	11ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)	11ग			
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)	11घ			
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				12	
13	व्याज और संदेय फीस					
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज ( धारा 234क)	13क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज ( धारा 234ख)	13ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234 ग)	13ग			
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13घ			
	ड	कुल संदेय व्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)	13ड			
14	संकलित दायित्व (12+ 13ड)				10	
15	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15क			
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15ख			
	ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)	15ग			
	घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15घ			
	ड	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	15ड			
16	संदेय कर (यदि 14, 15ड से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)				16	
17	प्रतिदाय (यदि 15ड, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)				17	
18	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।				हां. अथवा नहीं का चयन करें	
	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय हेतु खाते पर <input checked="" type="checkbox"/> करें)	
	i					
	ii					
	नोट:					
	1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।					
	2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।					
	यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।					
	ii	(ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:				
		क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आई.वी.ए. एन
	यथा अपेक्षित पंक्तियां बटाई जा सकती हैं					

संदत्त कर

बैंक खाता

19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय,- i) (भारत के बाहर स्थित कोई अस्थियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
----	---	---

20	<b>अनुसूची-आयकर</b>				
क	<b>आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे</b>				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	<b>टिप्पण</b>	भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			
ख	<b>वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [ नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]</b>				
वेतन से स्रोत पर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या ( टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	<b>टिप्पण</b>	कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें			

ग	<b>कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग)</b>												
क्र. सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैना/ आधार सं. (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रिता का पैना/ आधार सं..	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष जमा टीडीएस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर के लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।)	तदनुसूची रिसीट/ आहरित प्रस्तुत की गई	आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष		
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैना/				

																	आधार सं.				
i																					
टिप्पण - कृपया भाग ख -टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें																					

<b>घ स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)</b>						
<b>घ</b> <b>स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे</b>	<b>Sl No</b>	<b>संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या</b>	<b>संग्रहकर्ता का नाम</b>	<b>संग्रहित कर</b>	<b>(4) से अधिक दावा की गई रकम</b>	<b>(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
	<b>टिप्पण</b>		कृपया भाग ख-ननझ के 11ग में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें			

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री \_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं \_\_\_\_\_ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक \_\_\_\_\_ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख \_\_\_\_\_

यहां हस्ताक्षर करें→

<b>यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:</b>																					
<b>कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.</b>											<b>कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम</b>						<b>कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर</b>				
<b>यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम</b>																					